

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, पाली  
पीठासीन अधिकारी:- श्री रोहिताश्व सिंह तोमर (आई.ए.एस.)

राजस्व विविध प्रकरण सं० 539/2014

प्रार्थी-

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार,  
पाली

बनाम अप्रार्थीगण:-

1. श्री भारतसिंह पुत्र श्री गोविन्दसिंह  
कौम राजपूत सा. खेतावास
2. श्री जवानसिंह पुत्र श्री गोविन्दसिंह  
कौम राजपूत सा. खेतावास
3. श्रीमती मीदुकंवर पुत्री श्री गोविन्दसिंह  
कौम राजपूत सा. खेतावास
4. श्रीमती फुलकंवर पत्नी श्री गोविन्दसिंह  
कौम राजपूत सा. खेतावास
5. श्रीमती कंकुदेवी पत्नी श्री भूराराम कौम  
भाट सा. गोल निम्बड़ा खेतवास
6. श्रीमती भंवर कंवर पुत्री श्री मानसिंह  
कौम राजपूत सा. खेतावास
7. श्री दीपाराम पुत्र श्री खीमाराम कौम  
सिरवी सा. खेतावास
8. श्री शम्भुसिंह पुत्र श्री अचलसिंह कौम  
राजपूत सा. खेतावास
9. श्री सायरकंवर पत्नी श्री अचलसिंह  
कौम राजपूत सा. खेतावास
10. श्री नारायणसिंह पुत्र श्री चैनसिंह कौम  
राजपूत सा. खेतावास
11. श्री जोरसिंह पुत्र श्री चैनसिंह कौम  
राजपूत सा. खेतावास
12. श्रीमती मागीदेवी पत्नी बलवन्तराज  
कौम सीरवी सा. खेतावास

उपस्थिति:-

1. श्री केसरसिंह, तहसीलदार, पाली (सरकारी पैरोकार)
2. श्री राजूराम हरियाल, विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 10,11

प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम 1956

-आदेश:-

दिनांक 26.08.2019

1. प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि डिजिटल इन्डिया नेशनल लैण्ड रेकार्ड मोडर्नाइजेशन प्रोग्राम के अन्तर्गत तहसील पाली के राजस्व जमाबंदी के समस्त खातों का सेग्रीगेशन करते हुए खातेदारों का हिस्सा दुरुस्त किया जाना है। पटवारी हल्का खेतावास ने प्रतिवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम खेतावास खाता संख्या 80 के खसरा संख्या 36 कुल रकबा 102.18 बीघा में हिस्सा पूर्ण नहीं होने से उक्त खाता सेग्रीगेट किया जाना संभव नहीं है। ग्राम खेतावास के खाता संख्या 80 में अप्रार्थीगण को सुने बिना खाते का सेग्रीगेशन किया जाना संभव नहीं है। उक्त प्रार्थनापत्र श्रीमान के क्षेत्राधिकार में है। अतः ई-धरती सेग्रीगेशन कार्य में उक्त खाते की दुरुस्ती हेतु अप्रार्थीगण की सनुवाई कर खातेदारों का हिस्सा निर्धारण कर खाता दुरुस्त करने का आदेश प्रदान करावें।

राजस्व कलेक्टर

2. प्रार्थना-पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।
3. अप्रार्थी संख्या 10 और 11 ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम खेतावास के खाता संख्या 80 के खसरा नम्बर 36 में समस्त खातेदारों को आवश्यक पक्षकार बनाना आवश्यक एवं न्याय संगत है। पटवारी हल्का खेतावास से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र ग्राम खेतावास के खाता संख्या 80 के खसरा नम्बर 36 कुल रकबा 102.18 बीघा में कितने खातेदार हैं उन सभी खातेदारों का प्रार्थना पत्र में कोई हवाला नहीं है न ही अपने प्रार्थना पत्र सम्बन्धित सभी खातेदारों को पक्षकार बनाया गया है। सम्बन्धित खाता संख्या एवं खसरा संख्या से सम्बन्धित खातेदारों का आवश्यक पक्षकार बनाया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है। क्योंकि सम्पूर्ण खातेदारों को सुनवाई का अवसर दिये बिना कोई भी निर्णय पारित किया जाना न्याय संगत नहीं होगा। यह है अप्रार्थी ने अपने हिस्से की कृषि भूमि बेचाण कर दी है, इसलिए अप्रार्थी को गलत पक्षकार बनाया गया है अर्थात् सम्बन्धित आवश्यक पक्षकारों को संयोजित किया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है, एवं उन पक्षकारों को संयोजित कर सुनवाई का अवसर देकर प्रकरण का निस्तारण किया जाता है तो किसी प्रकार की न्यायिक निर्णय से किसी पक्षकार को कोई हानि नहीं होगी।
4. बहस सुनी गई।
5. सरकारी पैरोकार ने प्रार्थना पत्र जरिये पत्रांक भूअ/019/8257 दिनांक 13.08.19 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व रिकॉर्ड में शुद्धि हेतु पंजीबद्ध दस्तावेजों के आधार पर ग्राम खेतावास के खसरा नम्बर 36 रकबा 102.18 बीघा में सही हिस्सों कि रिपोर्ट प्रपत्र में पटवारी खेतवास से प्राप्त कि गई है जिस आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में शुद्धि करण हिस्सा सेग्रीगेट करवाने की अनुशंसा सहित प्रस्तुत किया गया।
6. बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली व उस पर उपलब्ध करवाये गये अभिलेख का ध्यान-पूर्वक अवलोकन किया गया। ग्राम खेतावास के खाता संख्या 80 खसरा नम्बर 36 रकबा 102.18 बीघा में सरकारी पैरोकार का पत्रांक भूअ/019/8257 दिनांक 13.08.19 के अनुसार ही अशुद्धि को शुद्ध करने का आदेश दिया जाता है। अतः तहसीलदार पाली पत्रांक भूअ/019/8257 दिनांक 13.08.19 इस निर्णय का हिस्सा बनाया जाकर स्वीकार किया जाता है।
7. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा 136 आर.एल.आर. एक्ट के तहत स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड ग्राम खेतावास की जमाबंदी के खाता संख्या 80 के खसरा संख्या 36 कुल रकबा 102.18 बीघा के राजस्व रिकॉर्ड को दुरुस्त करने का तहसीलदार, पाली को आदेश दिया जाता है। आदेश की प्रति तहसीलदार, पाली को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फ़ैसल में शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।



*(Signature)*  
सहायक कलेक्टर  
पाली (राज.)

यह आदेश आज दिनांक 26.08.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

*(Signature)*  
सहायक कलेक्टर  
पाली (राज.)